(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस—बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0—सदाकत आश्रम, पटना—800010

पत्रांक: पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर,भा0व0से0

सदस्य—सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना—800023.

विषय: **मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावकः चंद्र प्रकाश सिंह, पताः वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झींगुर्दाह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश (गया मोरहर नदी ब्लॉक— 28, बालू घाटः 15, ग्राम—अहुरी और कथार, अंचल—आमस और शेरघाटी जिला—गया) में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0—S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावकः चंद्र प्रकाश सिंह, पताः वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झींगुर्दाह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश (गया मोरहर नदी ब्लॉक— 28, बालू घाटः 15, ग्राम—अहुरी और कथार, अंचल—आमस और शेरघाटी जिला—गया) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांकः 09.08. 2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/—
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य—सचिव

ज्ञापांक :— पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/—
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य—सचिव

ज्ञापांक :–

पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावकः चंद्र प्रकाश सिंह, पताः वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झींगुर्दाह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश (गया मोरहर नदी ब्लॉक– 28, बालू घाटः 15, ग्राम–अहुरी और कथार, अंचल–आमस और शेरघाटी जिला–गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– 1037

पटना, दिनांक :– 30/5/24

प्रतिलिपिः–श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना को निदेश है कि दिनांकः 09.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांकः 09.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

29/5/24
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

दूरभाष नं0–0612.2261250,2262265,फैक्स नं0–0612.2261050ई–मेल–msbspcb-bih@gov.in,वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in

"D:\BSPCB\PC-17\P.H\LETTER SEIAA.docx"

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावकः चंद्र प्रकाश सिंह, पताः वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झींगुरदह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाटः 15, ग्राम–अहुरी और कथार, अंचल–आमस और शेरघाटी जिला–गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 09.08.2023 को अपराह्न 05:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2412/2023, dated 06.06.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 09.08.2023 को अपराह्न 05:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 05.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाटः 15, ग्राम–अहुरी और कथार, अंचल–आमस और शेरघाटी जिला–गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा।

Scanned with CamScanner

खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वान प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री असीम अकरम, पताः हमजापुर, पंचायतः महुआवॉ, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम एवं स्थानीय लोगो को रोजगार देने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री असीम अकरम को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री कमरूद्दीन, पताः हमजापुर, पंचायतः महुआवॉ, जिलाः गया।	इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि पहले भी घाट का संचालन हुआ है पर स्थानीय लोगो को रोजगार प्राप्त नही हुआ है। क्या इस बार स्थानीय लोगो को रोजगार प्राप्त होगा या नही ? इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस बार बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। एवं लेसी के प्रतिनिधि द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि स्थानीय लोगो को ही रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री कमरूद्दीन को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

Scanned with CamScanner

3.	श्री विवेक कुमार, ग्रामः कथार, जिलाः गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन अवधि के अंतराल में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाय, नियमित रूप से बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू खनन सरकार के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होना चाहिए एवं स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
4.	श्री अविनाश कुमार, पताः कथार, वार्ड नं0–04, जिलाः गया।	इनके द्वारा बताया गया कि नदी में बालू खनन काफी ज्यादा गहराई तक होता है। यह गहराई कितने मीटर तक होना चाहिए, से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जाना है अगर इससे ज्यादा करते है तो स्थानीय ग्रामीण के द्वारा जिला प्रशासन से शिकायत की जा सकती है। इसप्रकार श्री अविनाश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री शंकर कुमार, पताः कथार, वार्ड नं0–04, जिलाः गया।	इनके द्वारा कहा गया कि बालू खनन कार्य करना जनहित में आवश्यक है, जिसकारण घाट का संचालन जल्द से जल्द संचालित किया जाय ताकि स्थानीय लोगो को रोजगार प्राप्त हो एवं सरकार के राजस्व में वृद्धि हो।

लेक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा वताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

07-06-24

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,
गया

27.5.24

अपर समाहर्त्ता,
गया

उप विकास आयुक्त
बांका

Scanned with CamScanner

Information & Public Relations Department, Govt. of Bihar

Welcome:- Bspcb
Today: 05-Jul-2023

Advertisement

Advertisement :

Adv. ID	PRNo	AdDesc	NPRONo	AdSize	Publish Dt by Dept.	Publish Dt by IPRD	File send to News Paper	News Paper	Edition	Publish
119666	IPRD_PR_004715/23-24		IPRD_RO_004579/23-24	150	05-Jul-2023	05-Jul-2023	Download File	Dainik Bhaskar	Dainik Bhaskar Patna	
119566	IPRD_PR_004715/23-24		IPRD_RO_004579/23-24	150	05-Jul-2023	05-Jul-2023	Download File	Hindustan	Hindustan Gaya	

IPRD Bihar All Rights Reserved.

IP Address: 164.100.152.116

BIHAR

बिहार सरकार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

लोक-सुनवाई की सूचना

ई-मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट-http://bspcb.bihar.gov.in

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष मैसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावकः चंद्र प्रकाश सिंह, पताः वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झींगुर्दाह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाटः 15, ग्राम-अहुरी और कथार, अंचल-अमास और शेरघाटी जिला-गया में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक-सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमे संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद् मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गया; महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाईटः http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद् कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद् के ई-मेलः msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

दिनांकः	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
09.08.2023	अपराह्न 02:00 बजे	अमास और शेरघाटी जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत अहुरी और कथार	गया मोरहर 15	अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव /विचार से अवगत करायेंगे।

PR- 004715 (NI NI) 2023-24

नशे से बनायी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है

सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner

उपस्थिति सूची

मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावकः चंद्र प्रकाश सिंह, पताः वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झींगुर्दाह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाटः 15, ग्राम–अहुरी और कथार, अंचल–अमास और शेरघाटी जिला–गया में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 09.08.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय शेरघाटी, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजनि कुमार	अपर समाहर्ता, गया	9.8.23
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	संप्रीय पदाधिकारी, (अ० प्र० नि०, शेरघाटी, गया)	9.8.23
3.	स्नेहिल आनन्द	प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेरघाटी, गया।	9/8/23
4.	शुभम वर्मा	राजस्व अधिकारी शेरघाटी, गया।	SV 09/08/23
5.	Kunal Kashyap	भागलपुर	Kunal
6.	चंदन कु० सिंह	कठार	Chandan
7.	Avinash Kumar	Kathar	AS
8.	Pujan Kumar	Kathar	[illegible]
9.	Golu Kumar	Kathar	[illegible]

Scanned with CamScanner

10.	दानीश इमाम	महुआवाँ हमजापुर	Danish Imam
11.	फतह अयुब	महुआवाँ हमजापुर	Fatah Ayub
12.	मो० इरशाद आलम	महुआवाँ हमजापुर	Md. Irshad Alam
13.	मो शाकिर खाँ	महुआवाँ हमजापुर	MD. Shakir [illegible]
14.	Dilshad Alam	Mahuwa Hamzapur	Dilshad
15.	रंजन पासवान	महुआवाँ हमजापुर	Ranjan
16.	Ahmad Raza.	Mahua. Hamzapur	[illegible]
17.	Md. Dilshad Raza	Mahumawa Hamzapur	Dilshad [illegible]
18.	Arman Khan	Mahuawa Hamzapur	Arman Khan
19.	नौशाद खाँ	महुआवा हमजापुर	N Khan
20.	मो० शाहबुद्दीन	महुआवा हमजापुर	शाहबुद्दीन

Scanned with CamScanner

21.	मंजर इमाम	महुआवां इमजापुर	Manzar Imam 1/9
22.	मसूदुज्जमा खान	पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत समिति महुआवां	[signature] 9/8/23
23.	फिरोज अहमद	महुआवां इमजापुर	फिरोज अहमद
24.	मो० वहाब	महुआवां इमजापुर	मो० वहाब
25.	वसीम अकरम	महुआवां इमजापुर	वसीम अकरम 9/8/23
26.	कमालुद्दीन	इमजापुर महुआवां	[signature] 9/8/2023
27.	Punit Kr. Singh	Kathar.	P Singh 09/08/23
28.	छोटे सिंह	कठार	छोटे सिंह 09/08/23
29.	सुधीर कुमार	कठार	[signature] 09/08/23
30.	अतुल कुमार सिंह	कठार	[signature] 9/08/23
31.	मुन्ना सिंह	कठार	Munna Singh

Scanned with CamScanner

32.	मुन्ना सिंह	मुहुआ	Khan Kha.
33.	Sucey Khan	महुआवाँ अहुरी	Suey. Kh
34.	Md. wasim	अहुरी महुआवाँ	md wasim
35.	Shiv Shankar Das	महुआवाँ	Shiv Shankar Das
36.	Md Babar Kha	महुआवा	Md Babar Kha
37.	Fatah Ayus	महुआवा - अहुरी -	Ayus
38.	मनोज दास	महुआवा - अहुरी	Manoj Das
39.	रणजीत कुमार	महुआवाँ अहुरी	Randeet Kumar
40.	पप्पू सिंह	[illegible]	Papu Singh
41.	नीरज कुमार	कठार मोरघाटी	Niraj
42.	चन्द्रकान्त कुमार	कठार मोरघाटी	Chaanchan

Scanned with CamScanner

	Vivek Kumar	Kethar Ahuri	Vivek Kuma
44.	कमलेश कुमार	कहार अहरि	कमलेश कुमा
45.	Avishek Singh	Kethar, Ahuri	Avishek Si
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			

Scanned with CamScanner

''लोक-सुनवाई
दिनांकः 09.08.2023 समय : अपराह्न 02:00 बजे

दिनांकः 09.08.2023 समय : अपराह्न 02:00 बजे

मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रस्तावकः चंद्र प्रकाश सिंह, पताः वार्ड नम्बर 06, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, झींगुर्दाह, सिंगरौली, मध्यप्रदेश (गया मोरहर नदी बालू घाटः 15, ग्राम-अहुरी और कथार, अंचल-आमस और शेरघाटी जिला-गया) का गया जिला में परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते
''लोक-सुनवाई''
दिनांकः 09.08.2023 समय : अपराह्न 02:00 बजे
लोक सुनवाई का स्थलः अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया
आयोजकः- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना

''लोक-सुनवाई''

''लोक-सुनवाई''
दिनांकः 09.08.2023 समय : अपराह्न 02:00 बजे
लोक सुनवाई का स्थलः अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया